न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः– 528/2016
निर्णय दिनांकः– 09.12.2024
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. रामलाल पुत्र बख्तावरा जाति बारागांव निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. गंगासहाय शर्मा पुत्र रामगोपाल जाति बारागांव निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री पुरूषोत्तम शर्मा अधिवक्ता वादी

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः–09.12.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादगस्त आराजी खतौनी सं0 471 के आराजी खसरा नम्बर 3607 रकबा 10 बिस्वा, भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर पटवार हल्का फागी उत्तर भू०अभि०नि०क्षेत्र फागी तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसका वादी मुताबिक दर्ज राजस्व रिकार्डेड अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के प्रतिवादी सं01 वादी का दक्षिण दिशा का पडौसी खातेदार काश्तकार है वादी ने अपनी खातेदारी भूमि के दक्षिण दिशा में पुख्ता दीवार का निर्माण कर रखा है।3. यह कि वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। परन्तु प्रतिवादी सं01 यादी के दक्षिण दिशा का पडौसी खातेदार होने के कारण आये दिन नींव, मेर–कोर को लेकर विवाद करता है जबकि मौके पर वादी द्वारा दक्षिण दिशा की ओर अपनी सीमा में पुख्ता दीवार का निर्माण कर रखा है, बावजूद इसके प्रतिवादी सं01 आये दिन उक्त दीवार को तोडनीआमा रहता है जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। वादी ने उक्त खातेदारी भूमि में काफी पैसा व श्रम खर्चे करके उसे काफी उपयोगी बना लिया है एवं प्रतिवादी सं01 की आराजी की तरफ पुख्ता दीवार का निर्माण कर लिया है

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

इसके बावजूद प्रतिवादी सं01 आये दिन वादी को नाजायज हैरान व परेशान करता रहता है तथा वादी को उनकी भूमि का उपयोग व उपभोग नही करने देता जबकि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी भूमि से कोई लेना देना नहीं है वादीगण ही उक्त आराजी भूमि की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं मालिक है लेकिन प्रतिवादी सं01 वादी की खातेदारी आराजी को अपनी आराजी मिलाकर वादी को आराजी से महरूम करना चाहता है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी सं01 ऐन केन प्रकारेण वादी की खातेदारी भूमि में कब्जा करने की फिराक में है। जिसका प्रतिवादीगण को कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है जबकि वादी को यह कानूनी हक अधिकार प्राप्त है कि वाद प्रतिवादीगण को जरिये न्यायालय स्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द करवा दे कि वह वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग एवं कब्जे में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न स्वंय करें तथा न ही हाली सीरी ऐजन्ट सर्वेण्ट इत्यादि से करावे।यह कि अभी हाल ही में दिनांक 05.07.2016 को वादी अपनी भूमि 3 को सम्भालने गया तो प्रतिवादी सं01 वादी की कब्जे काश्त की भूमि में दक्षिण दिशा की तरफ बनी पुख्ता दीवार को तोडकर अपनी आराजीयात में मिलाने पर उतारू हो रहा था जब वादी ने प्रतिवादी सं01 को अपनी भूमि में अतिक्रमण करने से मना किया तो उस समय प्रतिवादी ऐलानिया धमकी देकर चला गया की इसमें हम जबरन रातो–रात जबरन पुख्ता दीवार को तोडकर कब्जा करके ही दम लेगें अगर प्रतिवादी सं01 अपने नापाक ईरादों में सफल हो गया तो वादी को अपनी खातेदारी भूमि के हक व अधिकारो से महरूम होना पड़ेगा व्यर्थ में मुकदमेंबाजी बढेगी इस कारण वादी को यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजिम आया। प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है कि वो वादी की खातेदारी / कब्जेशुद्धा भूमि मे उपयोग उपभोग करने आदि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे जबकि वादी को यह कानूनी हक व अधिकार प्राप्त है कि वो प्रतिवादीगण द्वारा उसकी खातेदारी भूमि के उपयोग व उपभोग व काश्त करने में उत्पन्न किये जाने वाली बाधाओं एवं मजाहमतों से प्रतिवादीगण को जरिये न्यायालय स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा दें। वादी का वाद कारण दिनांक 05.07.2016 को वादी भूमि को सम्भालने गया तो प्रतिवादी सं01 वादी की कब्जे काश्त की भूमि में दक्षिण दिशा की तरफ बनी पुख्ता दीवार को तोडकर अपनी आराजीयात में मिलाने पर उतारू हो रहा था जब वादी ने प्रतिवादी सं01 को अपनी भूमि में अतिक्रमण करने से मना किया तो उस समय प्रतिवादी सं01 ऐलानिया धमकी देकर चला गया की इसमें हम जबरन रातो–रात जबरन पुख्ता दीवार को तोडकर कब्जा करके ही दम लेगें। जिस पर वाद कारण उत्पन्न होंकर निरन्तर जारी है, जो वादी का वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वाद को सुनने एवं निस्तारण करने का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 की दिनांक 28.01.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रतिवादी सं. 2 फोरमल पक्षकार होने से जवाब नहीं देना जाहिर किया तथा प्रतिवादी सं. 2 का जवाब बन्द किया गया। वकील वादी के द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्यवादी बन्द किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीयागण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण स्थाई निषेधाज्ञा का है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2068 – 2071 वाके ग्राम फागी उत्तर के खाता सं0 471 मे वादी का हिस्सा दर्ज रिकार्ड होकर रिकार्डेड खातेदार है। वादी ने अपने वाद पत्र के मद नं 3 मे अंकन किया है कि प्रतिवादी सं0 1 वादी के दक्षिण दिशा का पडौसी खातेदार होने के कारण आये दिन नीव, मेर–कोर को लेकर विवाद उत्पन करना बताया है लेकिन वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किया जिससे प्रतीत हो कि प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित होगा। ना ही वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे कोई नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट हो की प्रतिवादी वादी का पडौसी खातेदार है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादी का वाद सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः वादी का वाद सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला दूदू

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

रामलाल पुत्र बख्तावरा जाति बारागांव निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर

बनाम

1. गंगासहाय शर्मा पुत्र रामगोपाल जाति बारागांव निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला जयपुर राजस्थान।

::– वाद स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 528 / 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री पुरूषोतम शर्मा हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निज.....ल.....मुबलिग.....ल.....बाबत.....ल.....
.....ल.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .....ल.....फीसदी.....
.....ल.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.12.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....
ओहदा.....

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

9/12/24

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू